भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1702**
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025
सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

**किशोरियों के लिए कौशल विकास योजनाएं**

1702. श्री नवीन जिंदल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किशोरियों के कौशल विकास के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना शुरू की गई है; और

(ग) सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कब तक शामिल करने का विचार है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सहयोग से अपनी प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 27 आकांक्षीय जिलों और विशेष क्षेत्रों में 3,850 किशोरियों और महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। यह कार्यक्रम गैर-पारंपरिक और उच्च मांग वाली जॉब रोलों में प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिसमें डिजिटल और सॉफ्ट कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है।

अब तक तीन जिलों अर्थात् बारामुल्ला (जम्मू और कश्मीर), मोगा (पंजाब) और विदिशा (मध्य प्रदेश) में प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है।

*****